रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072020-220422
CG-DL-E-08072020-220422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2011] **नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 8, 2020/आषाढ़ 17, 1942**
No. 2011] **NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 8, 2020/ASADHA 17, 1942**

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2020

का.आ. 2282(अ).—केंद्रीय सरकार, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए उपबंध) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 125 की उपधारा (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से क्रम सं. 1 के व्यक्ति को विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण का अध्यक्ष और क्रम सं. 2 तथा क्रम सं. 5 से क्रम सं. 7 के व्यक्तियों को इस प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड (ii) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 3756(अ) तारीख 28 नवंबर, 2017 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम सं. 1, क्रम सं. 2 और क्रम सं. 5 से क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	विशिष्टियां	पदनाम
“1.	श्री राजेश वर्मा, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	अध्यक्ष-पदेन (कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर बने रहने तक)
2.	श्री अनिल के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	सदस्य, पदेन (भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर बने रहने तक)
5.	श्री पी.एस. नरसिम्हा एच-373, सैक्टर 15ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301	सदस्य
6.	श्री राकेश जैन, डब्ल्यू-32, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-II, नई दिल्ली-110048	सदस्य
7.	श्री गोपाल वी. कुमार, 3201, ग्रांडियर वंसत मारवल, बोरीवली ईस्ट, मुंबई-110019	सदस्य

(ii) पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

2. क्रम सं. 4 से क्रम सं.7 तक के सदस्यों का कार्यकाल विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों तथा अधिकारियों के लिए उपबंध) नियम, 2016 के नियम 8 द्वारा शासित होगा और वे उक्त नियमों के नियम 11 के उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार बैठकों में उपस्थित होने के कारण किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

[फा.सं. 05/27/2013-आईईपीएफ (पार्ट.I)]

मनोज पांडेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ.1647(अ), तारीख 02 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई और तत्पश्चात्, का.आ.3756(अ) तारीख 28 नवंबर, 2017 के द्वारा संशोधित की गई।

*****

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, 8 July, 2020

S.O. 2282(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 125 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) read with rules 5 and 7 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016 (herein after referred to as the said rules), the Central Government hereby appoints the person at serial number 1 as Chairperson and the persons at serial numbers 2 and 5 to 7 as Members to the Investor Education and Protection Fund Authority with effect from the date of publication of this notification and for that purpose, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) vide number S.O. 3756(E) dated the 28th November, 2017 namely:-

In the said notification,-

(i) for serial number 1, 2 and 5 to 7 the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Particulars	Designation
"1.	Shri Rajesh Verma, Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi- 110001.	Chairperson- *ex – officio* (till he holds the post of Secretary in the Ministry of Corporate Affairs)
2.	Shri Anil K. Sharma Executive Director, Reserve Bank of India.	Member, *ex - officio* (till he holds the post of Executive Director in the Reserve Bank of India.)
5.	Shri P. S. Narasimha H-373, Sector 15A, Noida, Gautam Buddha nagar, Uttar Pradesh, 201301	Member.
6.	Shri Rakesh Jain, W-32, Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110048	Member
7.	Shri Gopal V. Kumar, 3201, Grandeur Vasant Marval, Borivali East, Mumbai - 110019	Member."

(ii) for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"2. The term of office of members at serial numbers 4 to 7 shall be governed by rule 8 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016 and they shall be entitled for reimbursement of actual expenditure incurred for attending the meetings as per the provisions of sub-rule (10) of rule 11 of the said rules."

[F. No. 05/27/2013-IEPF (Pt.I)]
MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub section (ii) vide number S.O. 1647 (E), dated 2nd May, 2016, and subsequently amended vide number S.O. 3756(E), dated the 28th November, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.08 21:10:00 +05'30'